



F-07-08

F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1324 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1324

विषय / Sub : एवियेशन टर्बाइन फ्यूल (के-50)

Aviation Turbine Fuel (K-50)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), गुजरात रिफाइनरी, पोस्ट जवाहर नगर, वडोदरा - 391 320, द्वारा उनके पंजीकृत कार्पोरेट कार्यालय पता: मेसर्स आई ओ सी एल, जी-9, अलि यावर जंग मार्ग, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051 में विकसित तथा उत्पादित " एवियेशन टर्बाइन फ्यूल (के-50) ", को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1324, दिनांक 31 जनवरी 2008, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1324 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1324/1ए/1आर, दिनांक 07 जनवरी 2013 द्वारा संशोधन सहित नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक है।

This is to state that the "Aviation Turbine Fuel (K - 50), developed and produced by Hydro treatment process by M/s Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Gujarat Refinery, Post Jawahar Nagar, Vadodara - 391 320, with the Registered Corporate Office address: M/s IOCL, G - 9 Ali Yavar Jung Marg, Bandra (East), Mumbai - 400 051 was issued with Type Approval Number: 1324 vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-1324, dated: 31st January 2008. Subsequently amendment cum renewal was issued vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-1324 /1A/1R, dated: 07th January 2013 and with its validity up to 31st December 2017.

2. उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1324 और उसके परिशिष्ट-ए में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा, उल्लेखित को ऐसे पढ़ा जाए: *The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1324 and it's Appendix 'A'.*

Subject	Wherever/For	Read as
Amendment of condition in Para (h) stated, under conditions & Limitations in Appendix 'A' Page 1 of 3 in TA - 1324	(h) Trace Metal analysis & Elastomer compatibility to be conducted at least once every year apart from production acceptance test of any batch produced during the year and results forwarded to CEMILAC, Bangalore	(h) Production acceptance tests of any batch produced during the year and results forwarded to RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, Bangalore

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ व एफ ओ एल), डी आर डी ओ, सेमिलैक, बेंगलूर- 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), DRDO, CEMILAC, DRDO, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Foundry and Forge Division, Bengaluru - 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1324, दिनांक 31 जनवरी 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1324, dated: 31st January 2008.

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1324/2R

दिनांक / Date : 22 December 2017

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

प्र. HR.


(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)